झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

पत्र सं0– 02. त0शि0/योजना–04/2025 /राँची, दिनांक–

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
पोस्ट– हिनु, राँची।

द्वारा :– आतंरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः– नॉलेज सिटी, खूँटी के लिए खूँटी अंचल के मौजा–बिरहू में चिन्हित/हस्तांतरित भूमि के चाहरदीवारी के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि रू0 2,31,62,000/– (रू0 दो करोड़ एकतीस लाख बासठ हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेशः–स्वीकृत।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अन्तर्गत नॉलेज सिटी, खूँटी में विभिन्न उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों की स्थापना का प्रस्ताव है। वर्त्तमान में नॉलेज सिटी हेतु मौजा–बिरहू तथा इदरी में क्रमशः 44.76 एकड़ तथा 152.70 एकड़ भूमि चिन्हित/कर्णांकित है। उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, खूँटी का स्वीकृत्यादेश सं0 666 दिनांक 10.07.2017 के द्वारा अंचल–खूँटी, मौजा–बिरहू, थाना नं0–239 में विभिन्न खाता के विभिन्न प्लॉट में कुल रकवा–38.59 एकड़ भूमि हस्तांतरित की गयी है। बिरहू मौजा के शेष चिन्हित भूमि के हस्तांतरण हेतु कार्रवाई की जा रही है। उक्त स्थल पर राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित है। उक्त चिन्हित/हस्तांतरित भूमि को अतिक्रमण मुक्त रखने हेतु तत्काल चाहरदीवारी निर्माण के निमित झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड से विभागीय पत्रांक 321 दिनांक 26.03.2025 द्वारा प्राक्कलन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

2. कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची का पत्रांक 1095 (नि0) दिनांक 16.05.2025 द्वारा नॉलेज सिटी, खूँटी के लिए मौजा–बिरहू में हस्तांतरित/चिन्हित भूमि के चाहरदीवारी निर्माण हेतु तकनीकी अनुमोदन Estimate No. 706/T.A/H.E./JSBCCL/2025-26, Page No. 303 दिनांक 16.05.2025 के साथ कुल प्राक्कलित राशि रू0 2,31,62,000/– (रू0 दो करोड़ एकतीस लाख बासठ हजार) मात्र का अभिलेख उपलब्ध कराया गया है। विषयांकित कार्य की विवरणी निम्नवत् है –

क्र0	अवयव के नाम	स्वीकृत प्राक्कलित राशि
1	Boundary Wall	1,82,52,200.00
2	Entrance Gate	1,04,100.00
3	Total (A)	1,83,56,300.00
4	Add 18% for GST on (A)	33.04.134.00
5	Total (B)	2,16,60,434.00
6	Add 1% for Labour Cess on (B)	2,16,604.00
7	Add JSBCCL Charges	12,84,941.00
8	Grand Total	2,31,61,979.00
9	Say	2,31,62,000.00
(रू0 दो करोड़ एकतीस लाख बासठ हजार) मात्र		

अतः उक्त के आलोक में खूँटी अंचल के मौजा–बिरहू में नॉलेज सिटी, खूँटी के लिए हस्तांतरित/चिन्हित भूमि के चाहरदीवारी निर्माण आदि कार्य के लिए कुल रू0 2,31,62,000/– (रू0 दो करोड़ एकतीस लाख बासठ हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. (क) उपबंध एवं राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–4202–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–उप मुख्यशीर्ष–02–तकनीकी शिक्षा–लधु शीर्ष–105–इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान/उपशीर्ष–06–तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण–इंजीनियरिंग कॉलेज/पोलिटेकनिक/खानन् संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्वार हेतु निर्माण कार्य इकाई से की जायेगी।

(ख) उपबंध एवं राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–4202–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–उप मुख्यशीर्ष–02–तकनीकी शिक्षा–लधु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना/ उपशीर्ष–06–तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण–इंजीनियरिंग कॉलेज/पोलिटेकनिक/खानन संस्थानों

4. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग होगें एवं राशि की निकासी कर नियमानुसार चालान/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के PL खाते में राशि जमा करेगें।
5. यह कार्य झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा निविदा के माध्यम से कराया जायेगा तथा तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन पर निगम द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते हुए निविदा कार्य प्रारम्भ करेगे। स्वीकृत योजना का निर्माण कार्य अवधि कार्यानुमति निर्गत की तिथि से 04 (चार) माह होगी।
6. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा PWD कोड़ के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन के उपरान्त विषयांकित कार्य संबंधी राशि का नियमानुसार निकासी एवं व्ययन करना सुनिश्चित की जायेगी।
7. कार्य की प्रगति का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण निदेशक, तकनीकी शिक्षा के द्वारा की जायगी।
8. स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नही किया जाय, यह संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोत्रो से राशि नही प्राप्त किया गया है।
10. विषयांकित कार्य हेतु राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं वित्तीय वर्ष 2026–27 में की जायेगी।
11. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17/04/98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहितदिशा–निर्देश एवं समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
12. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा से की जायगी।
13. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।
14. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
15. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी, टी0भी0नं0 सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेगें।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(सुनील कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 02. त0शि0/योजना–04/2025 /राँची, दिनांकः–

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– 02. त0शि0/योजना–04/2025 /राँची, दिनांक–

प्रतिलिपि :– प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची को इस आशय के साथ प्रेषित है कि आवंटित कार्य का निविदा के पश्चात कार्यानुमति निर्गत कर अभिलेख विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 02. त0शि0/योजना–04/2025/08/योजना /राँची, दिनांकः– 12.06.2025

प्रतिलिपि :– योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/उपायुक्त, खूँटी/कुलपति, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, राँची/विभागीय अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची, झारखण्ड/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/बजट पदाधिकारी/नोड़ल पदाधिकारी को Upload हेतु/प्रभारी निर्गत शाखा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।